

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 13, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. निघन उल्लेख

निम्नलिखित के निघन संबंधी उल्लेख :-

- (1) डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी, तमिलनाडु के राज्यपाल
- (2) श्री राजाराम सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (3) श्रीमती पारवती कुमारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
- (4) सरदार डी.के. जाधव, भूतपूर्व संसद सदस्य

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन एवं ग्रामोद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 18 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जसवंत सिंह, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-10-95-विक-पांच (57) दिनांक 15 नवम्बर, 1996 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचनाओं से संबंधित निम्नलिखित शुद्धि पत्र पटल पर रखेंगे :-

- (क) क्रमांक बी-1-1-95-बाईस-प.2 दिनांक 17.10.96
- (ख) क्रमांक बी-1-2-95-बाईस-प.2 दिनांक 17.10.96
- (ग) क्रमांक बी-1-5-95-बाईस-प.2 दिनांक 17.10.96
- (घ) क्रमांक बी-1-19-95-बाईस-प.2 दिनांक 17.10.96
- (ङ.) क्रमांक बी-1-22(1)-95-बाईस-प.2 दिनांक 17.10.96 ; तथा
- (च) क्रमांक बी-1-22(2)-95-बाईस-प.2 दिनांक 17.10.96.

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह, मछली पालन एवं डेयरी विकास मंत्री :-

(क) मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 ; तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित, भोपाल (समापनाधीन) के समापक का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का अट्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

- (क) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर का आवासीय संपरीक्षा प्रतिवेदन भाग-एक अर्ध वर्ष 1994-95 ; तथा
(ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक लेखा वर्ष 1994-95,

पटल पर रखेगे.

(7) श्री बी.आर. यादव, कृषि एवं सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-96-पन्द्रह-1 दिनांक 11 सितम्बर, 1996 के साथ संलग्न (परिशिष्ट-क,ख,ग) पटल पर रखेगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सर्वश्री पारस चन्द जैन, बाबुलाल जैन, सदस्य, उज्जैन स्थित इंदौर टेक्सटाईल्स मिल के कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे.

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य, प्रदेश में कोर्ट स्टाम्पों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जालम सिंह पटेल, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 22 सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेगे.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 23 सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेगे.

(3) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 24 सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेगे.

निर्धारित समय

1 घन्टा
30 मि.

6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौथर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. दाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेगे.

1 घन्टा
30 मि.

(2) प्रदेश में निरन्तर गिरते भू-जल स्तर को रोकने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, सदस्य चर्चा उठायेगे.

भोपाल :
दिनांक : 3 दिसम्बर, 1996

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा